

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7223/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	अम्बिकापुर	पोड़िया	0.696	श्याम परियोजना
		योग:-	0.696	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30/09/2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पोड़िया पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	श्याम परियोजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	03
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ:- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	400 करोड़ रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मिस्तर)
कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

पृ० क्रमांक 7224 भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम पोडिपा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, श्याम परियोजना ग्राम ग्राम पोडिपा तहसील- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7227/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	उदयपुर	बोंगरू	0.008	मनोहरपुर व्यपवर्तन योजना
		सलबा	0.270	
		योग:-	0.278	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 10/10/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन सलबा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	मनोहरपुर व्यपवर्तन योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	11
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	614.41 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मिस्त्र)
कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ0 क्रमांक 7228/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर,दिनांक 20/09/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, उदयपुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम बोंगरू एवं ग्राम सलबा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, मनोहरपुर ~~व्यपवर्तन योजना~~ ग्राम बोंगरू एवं ग्राम सलबा तहसील- उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7219/भू-अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा (डुबान एवं मुख्यनहर)	7.130	बेलजोरा जलाशय योजना
		धरमपुर (मुख्य एवं उपनहर)	1.939	
		योग:-	9.069	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 12/10/2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन बेलजोरा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कंडिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	जलाशय योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	40
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	602.30 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मिस्त्र)
कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ0 क्रमांक 7220/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम बेलजोरा एवं ग्राम धरमपुर, अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, बेलजोरा जलाशय योजना ग्राम बेलजोरा एवं ग्राम धरमपुर, तहसील - सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतापुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7211 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 20 / 09 / 2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	सीतापुर	बगडोली (डूबान क्षेत्र)	15.257	रजपुरी जलाशय योजना
		रजपुरी (डूबान क्षेत्र के छुटे हुये कृषक)	5.562	
		योग:-	20.819	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28/09/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन रजपुरी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	जलाशय योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	52
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	264.78 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मिस्तर)

कलेक्टर


सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 7212/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम बगडोली एवं ग्राम रजपुरी, अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, रजपुरी जलाशय योजना ग्राम बगडोली एवं ग्राम रजपुरी, तहसील - सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतापुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 7215 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 20/ 09/ 2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	मैनपाट	जामढोडी (स्पील चैनल)	2.527	कोटछाल जलाशय योजना
		जामढोडी (डूबान क्षेत्र)	6.249	
		हरामार (डूब क्षेत्र)	8.556	
		हरामार (मुख्य एवं उपनहर)	4.924	
		योग:-	22.256	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 05/10/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन कोटछाल पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कडिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	कोटछाल जलाशय योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	78
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	602.30 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मित्तर)

कलेक्टर


सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 7216/भू-अर्जन/2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम जामढोडी एवं ग्राम हरामार, अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, कोटछाल जलाशय योजना ग्राम जामढोडी एवं ग्राम हरामार, तहसील - मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपाट, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर